

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2000 अंतर्गत

निवार कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 19 जुलाई, 2000 (आषाढ 28, 1922)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्कर्ता: विलित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री हरवंश सिंह, बन मंत्री, कम्पनीज एकट, 1956 की धारा 619-की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य बन विकास निगम लिमिटेड का 23 वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 1997-98 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यिक कार मंत्री, मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) की धारा 8 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएँ :-

(क) क्रमांक (25) एफ.बी.-5-24-2000-वा.कर-पांच, दिनांक 30 मार्च, 2000; तथा

(ख) क्रमांक 33-एफ.बी.-5-3-99-वा.कर-पांच, दिनांक 27 अप्रैल, 2000,

पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) चौथी राकेश सिंह, सदस्य, घिण्ड जिले के कनाथर निवासी एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले के औद्योगिक क्षेत्र सिंहगढ़ में अवैधानिक रूप से प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को स्थापित किये जाने की ओर वाणिज्य और उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री नित्यनिरंजन खम्परिया, सदस्य, जबलपुर जिले के सिहोरा-सिलीडी मार्ग का चौड़ीकरण एवं डामरीकरण कराये जाने,

(2) श्री मेघाराम साहू, सदस्य, आंजगीर-चोपा जिले के ग्राम उमरेली के पास खोन नदी पर पुल बनाये जाने,

(3) श्री धूलसिंह यादव, सदस्य, राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ नगर को पर्षटन रथल घोषित किये जाने,

(4) श्री बुजमोहन अग्रवाल, सदस्य, कटनी नगर निगम एवं उसके आस-पास के ग्रामों की अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराये जाने; तथा

(5) श्री रमाकान्त तिवारी, सदस्य, रीवा जिले में टमस नदी के त्योधर घाट पर पुल बनाये जाने,

के सम्बन्ध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे।

5. नियम 101 (2) के अधीन अच्यावेश के सम्बन्ध में विवरण पटल पर रखा जाना

श्री रत्नेश सौलोमन, उच्च शिक्षा मंत्री, राधा के समाज लक्षित मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के बैतनों का संदाय) संशोधन विधेयक, 2000 (क्रमांक 11 सन् 2000) के स्थान पर मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के बैतनों का संदाय) संशोधन अध्यावेश, 2000 (क्रमांक 2 सन् 2000) के द्वारा विधान बनाये जाने के कारणों के सम्बन्ध में विवरण पटल पर रखेंगे।

६. शासकीय विधि विधेयक कर्तव्य

निर्धारित
समय

(१) श्री रत्नेश सौलोमन, उच्च विकास मंत्री, मध्यप्रदेश अशासकीय विभाग संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के बेतनों का संदाय) संशोधन विधेयक, २००० (क्रमांक १९ सन् २०००) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(२) श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश आज्ञाकालीन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २००० (क्रमांक २० सन् २०००) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

(३) श्री धनेन्द्र साहू, राज्यमंत्री धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, मध्यप्रदेश श्री महाकालेश्वर मंदिर (संशोधन) विधेयक, २००० (क्रमांक २१ सन् २०००) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

१ घन्टा

(४) डॉ. प्रेमसाय शिंह, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २००० (क्रमांक १८ सन् २०००) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

७. नियम १३४ के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

१ घन्टा
३० मि.

प्रदेश में सड़कों की जर्जर हालत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बुजमोहन अग्रवाल, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री भृपेन्द्र सिंह, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सर्वश्री नरेन्द्र बिरथर, हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), नरोत्तम मिश्र, लाल शिंह, लक्ष्मेश सिंह, नारायण प्रसाद चंदेल, अमर अग्रवाल, मुन्ना शिंह, प्रभाकर शिंह तथा श्री महेश तिवारी, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

भोपाल :
दिनांक : १८ जूलाई, २०००

के.वी. शिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.